राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 2903/2023
पवन कुमार सुमन

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, सह विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर।
4. महेश चन्द शर्मा, एक्सईएन, नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, मानसरोवर जोन, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 05.12.2023

उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी अधिशाषी अभियंता (सिविल) के पद पर नगर निगम जयपुर ग्रेटर के मानसरोवर जोन में कार्यरत था। आदेश दिनांक 19.09.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानांतरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया और अपीलार्थी को कहीं भी पदस्थापित नहीं किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क रहा है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान आलौच्य आदेश जारी किया गया है, जो उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस अपील में इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 13.10.2023 के द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 19.09.2023 (अनुलग्नक—1) व कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 21.09.2023 (अनुलग्नक—2) का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया था। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एस्टे/एम/एफ10()आरएमएस (टी)/डीएलबी/23/6737 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा श्री महेश चन्द शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण/पदस्थापन आर.यू.आई.डी.पी. जोधपुर से मानसरोवर जन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर में अधिशाषी अभियन्ता के पद पर किया गया है। उक्त आदेश की पालना में श्री महेश चन्द शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) द्वारा दिनांक 20.09.2023 को नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात नगर निगम ग्रेटर जयपुर के आदेश क्रमांक एफ–50) कार्मिक/साप्र./ननिग्रेज/2023/890 दिनांक 21.09.2023 की पालना में। श्री महेश कुमार शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) को दिनांक 20.09.2023 से नगर निगम ग्रेटर जयपुर में उपस्थिति प्रदान की जाकर इनको अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) मानसरोवर जोन का कार्य आवंटित किया एवं अपीलार्थी को मुख्य अभियन्ता कार्यालय मुख्यालय में कार्य संपादित करने हेतु आदेशित किया, जिसकी अनुपालना में श्री महेश कुमार शर्मा द्वारा अधिशाषी अभियन्ता मानसरोवर जोन का कार्य दिनांक 21.09.2023 एवं अपीलार्थी द्वारा मुख्यालय में अपना कार्य दिनांक 22.09.2023 से किया जा रहा है। यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा आलौच्य आदेश की कियान्विति में दिनांक 22.09.2023 को कार्यग्रहण कर लिया था। अतः अपीलार्थी द्वारा आलौच्य आदेश की पालना की जा चुकी थी व अपीलार्थी द्वारा उक्त तथ्य को छुपाते हुए वर्तमान अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है, जो इसी आधार दर खारिज किये जाने योग्य है।

3. निजी प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 21.09.2023 के द्वारा मुख्य अभियंता मुख्यालय के कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिये गये थे और अपीलार्थी ने वहां पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करायी है। निजी प्रत्यर्थी ने आदेश दिनांक 19.09.2023 की पालना में कार्यग्रहण कर लिया है। ऐसे में अपील निष्फल हो चुकी है।

4. हमनें सभी पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को स्थानांतरण पर प्रतिबंध की

अवधि में स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, जिसके तहत स्थानांतरण किये जाने पर रोक है। हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में पारित किया जाना उचित नहीं था। साथ ही यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी के स्थान पर वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी कार्य कर रहे है। ऐसे में प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की पाबंदी समाप्त होने पर प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी एवं निजी प्रत्यर्थी के पदस्थापन / स्थानांतरण के संबंध में नये सिरे आदेश पारित करें, तब तक अंतरिम आदेश दिनांक 13.10.2023 प्रभावी रहेगा।

5. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)